साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 3 | अंक : 20 गोंदिया : गुरुवार, दि. 22 से 28 दिसम्बर 2022 पृष्ठ : 4 मूल्य : रु. 5

ग्राम पंचायत चुनाव परिणाम : जिले में भाजपा सबसे बड़े दल के रुप में, कांग्रेस दूसरे नंबर पर

गोंदिया विधानसभा क्षेत्रा में चाबी संघटना का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के 348 ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम मंगलवार 20 दिसंबर को घोषित हुए। जिसमें सर्वाधिक सरपंच भाजपा व उनके समर्थित उम्मीदवार विजयी हुये। वहीं जिले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पक्ष रहा व तीसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के चाबी संघटना के उम्मीदवारों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 50 प्रतिशत के करीब सीटों पर जीत हासिल की।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े गए, किंतु राजनीतिक दल द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के रुप में चुनाव हुए। जिसमें चुनाव के पश्चात सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवारों के सही आंकड़े आने में समय लगेगा, किंतु फिलहाल की स्थिति में जिले में हुए 348 ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे बड़े समर्थित उम्मीदवारों के दल के रुप में भाजपा के सरपंच निर्वाचित हुए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 140 से 150 के बीच में भाजपा समर्थित उम्मीदवार, 70 से 80 के बीच में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, 30 से 40 राष्ट्रवादी तथा 25 से 30 निर्दलीय उम्मीदवारों का समावेश है। इसके साथ ही गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक विनोद अग्रवाल की जनता की पार्टी चाबी संघटना के भी 25 से 30 उम्मीदवार विजयी हुए हैं।

सभी राजनीतिक दलों के दावे के चलते जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें गोंदिया विधान सभा तक गोंदिया तहसील की 71 ग्राम पंचायतों में चाबी संघटना के 30, भारतीय जनता पार्टी के 25, कांग्रेस के 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 13 व 2 निर्दलीय । तिरोडा तहसील के 74 ग्राम पंचायतों में भाजपा व समर्थित 46, कांग्रेस 12, राष्ट्रवादी 10 व निर्दलीय 5 । आमगांव तहसील की 34 ग्राम पंचायतों में 14 भारतीय जनता पार्टी, 12 कांग्रेस , 7 राष्ट्रवादी व 1 निर्दलीय । गोरेगांव तहसील की 30 ग्राम पंचायतों में भाजपा 7, कांग्रेस 14, राष्ट्रवादी 5, निर्दलीय 4 । देवरी तहसील की 25 ग्राम पंचायतों में भाजपा 11, कांग्रेस 8, राष्ट्रवादी 2, निर्दलीय 4 । सालेकसा तहसील की 31 ग्राम पंचायतों में 14 भाजपा, 14 कांग्रेस, 3 निर्दलीय । सड़क अर्जुनी व अर्जुनी मोरगांव की 83 ग्राम पंचायतों में 45 भाजपा व शेष में कांग्रेस, राष्ट्रवादी व निर्दलीय सरपंचों का समावेश है।

चंद्रकुमार बहेकार भरत घासले विजेंद्र मेश्राम महेंद्र गजभिए

जिले के सभी विजयी सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों को गोंदिया विधानसभा गोंदिया तहसील में भाजपा की ओर से पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, विधायक विनोद अग्रवाल, तिरोड़ा तहसील व गोरेगांव तहसील के निर्वाचित सरपंचों व ग्राम पंचायत सदस्यों को विधायक विजय राहंगडाले तथा अर्जुनी मोरगांव विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचित भाजपा के सदस्यों को पूर्व पालकमंत्री राजकुमार बडोले द्वारा शुभकामनाएं दी गई।

पत्रकारों ने भी दिखाया जलवा

जिले में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में पत्रकार भी उम्मीदवार के रुप में खड़े थे। जिनमें से अधिकांश पत्रकारों द्वारा जीत हासिल की गई। जिसमें सालेकसा तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम भजेपार में युवा पत्रकार चंद्रकुमार बहेकार कांग्रेसी उम्मीदवार के रुप में सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए। साथ ही उनके पैनल को भारी बहुमतों से विजय मिली। इसके साथ ही गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम पिंडकेपार से सदस्य पद के लिए पत्रकार भरत घासले भारी मतों से विजयी हुए। उसी प्रकार गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम खातिया के पत्रकार विजेंद्र मेश्राम तथा कामठा से महेंद्र गजभिए विजयी हुए।

चिन्मय गोतमारे बने गोंदिया जिले के नये जिलाधिकारी

बुलंद गोंदिया - नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे 2009 बेच के आईएएस अधिकारी चिन्मय गोतमारे की नियुक्ति गोंदिया जिलाधिकारी के पद पर की गई है। वर्तमान जिलाधिकारी डॉ.नयना गुंडे का तबादला नासिक के आदिवासी आयुक्त के पद पर की गई है। वर्तमान जिलाधिकारी डॉ.नयना गुंडे की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादला नासिक के आदिवासी आयुक्त के पद पर किये जाने पर गोंदिया के नए जिलाधिकारी का पद जल्द स्वीकार करने के आदेश चिन्मय गोतमारे को मिले है।

गोंदिया के नए नियुक्त जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे 2009 बैच के आईएएस अधिकारी है। उनकी शिक्षा नागपुर विद्यापीठ से हुई है। वे मेघालय राज्य में भी सेवा प्रदान की साथ ही यशोदा पुणे में भी काम किया है तथा वर्तमान में नागपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

गोंदिया के नये जिलाधिकारी पद पर नियुक्ति होने पर आज चिनमय गोतमारे ने गोंदिया-भंडारा जिले के पूर्व पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके के नागपुर स्थित आवास पर जाकर उनसे भेंट की। भेंट के दौरान फुके ने चिन्मय गोतमारे को गोंदिया के जिलाधिकारी बनने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस भेंट में परिणय फुके ने गोंदिया जिले के विविध विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर सकारात्मक चर्चा की।

सड़क छाप मजनुओं की अब खैर नहीं पुलिस दामिनी दस्ता एक्शन मोड पर

बुलंद गोंदिया - कॉलेज, स्कूल, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन परिसर तथा सार्वजनिक स्थलों के समक्ष खड़े होकर लड़कियों को भद्दे कमेंट करने, चिढ़ाना या अन्य हरकते करने वाले रोड रोमियो को लेकर पुलिस विभाग शख्त भूमिका में है। इन मामलों पर अंकुश लगाने व रोड रोमियों को सबक सिखाने पुलिस अधीक्षक गोंदिया निखिल पिंगले द्वारा दामिनी पथक का गठन कर जिलास्तर पर काम पर लगा दिया है। दामिनी दस्ते का नेतृत्व वरिष्ठों की निगरानी में पुलिस उपनिरीक्षक प्रियंका पवार करेंगी। दामिनी पथक द्वारा इस स्थिति पर लगाम लगाने हेतु स्कूल, कॉलेज में जाकर छात्राओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है।

13 दिसंबर को दामिनी की टीम ने पेट्रोलिंग करते हुए विद्यालयों, महाविद्यालयों का दौरा किया तथा गोंदिया शहर, रामनगर क्षेत्र में लड़कियों का मार्गदर्शन किया तथा सूर्याटोला बांध तालाब क्षेत्र में आत्महत्या करने के इरादे से आयी एक लड़की को पकड़कर उसका मन परिवर्तन किया और उक्त लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया। यह प्रदर्शन दामिनी टीम के सीनियर्स के मार्गदर्शन में प्रियंका पवार, एलपीसी बंसोड़, एलपीसी मजुते, ड्राइवर एलपीसी पाचे, पीसी बावनकर, पीसी अंबाडे ने किया है।

गोंदिया जिला पुलिस बल ने जनता से अपील की है कि अगर किसी भी जगह छात्राओं, युवतियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी, गलत व्यवहार की घटना होती दिखाई दे तो वे इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 112 या वाट्सएप नम्बर 9130030548 पर दे सकते है।

प.पू.आचार्य श्री १०८ विशुद्ध सागरजी महाराज के शिष्यों की भव्य अगवानी

बुलंद गोंदिया - दिगंबर जैन समाज गोंदिया द्वारा प. पू. आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागरजी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रणीत सागरजी महाराज व मुनि श्री निर्मोही सागरजी महाराज इनकी गोंदिया शहर में भव्य अगवानी की गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गो से धूमधाम के घूमकर दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। मंदिर में जैन समाज की महिलाओं ने मंगल कलश द्वारा मुनि श्री की अगवानी की। शीतकालीन वचन कलश की स्थापना का सौभाग्य बैंक के संचालक राजकुमार नेमीचंद जैन परिवार को प्राप्त हुआ। आचार्य विद्यासागरजी महाराज आचार्य विशुद्ध सागरजी महाराज आचार्य पुष्पदंत जी महाराज के तैलचित्र के अनावरण का सौभाग्य अक्षय फूलचंद जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शास्त्र भेट अनिल केशरीचंद परिवार को प्राप्त हुआ। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अतुल अमृतलाल जैन, अजय फुलचंद जैन परिवार को प्राप्त हुआ।

मुनि श्री के आगमन पर मनोहर चौक में पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन, राजकुमार एन जैन, ट्रस्टी संजय जैन (लाड़ली), देवेंद्र अजमेरा, बसंत पांड्या, नविन जैन, नीरज (निरु) जैन, अक्षय जैन, अनिल केशरीचंद, तरुण अजमेरा, आनंद दयाचंद जैन, अमन पाटनी, सोनू जैन, मनोज पाटनी, सुमेरचंद जैन, अशोक ठोल्या, अतुल अमृतलाल जैन, परख अजमेरा, संदीप जैन (लाडली), सुधीर जैन, अंकित अजय जैन, अनिल पाटनी, संदीप जैन, मनोज जैन, सुनील जैन मामा, पियूष जैन, नितेश बाकलीवाल, सन्नी जैन, धन्नू पांड्या, रमेश ठोल्या, अंकित जैन, आर्यन जैन, सहित जैन श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

भूमिगत गटर घटिया निर्माण की मंत्रालय पहुंची शिकायत

इरफान सिद्दीकी - क्या सरकार किसी की मौत होने पर जांच के आदेश देंगी..?

बुलंद गोंदिया - नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत शहर के दक्षिणी दिशा में पूरे शहर में शुरु भूमिगत गटर लाइन के पाईप बिछाने के कार्य में बड़ी लापरवाही बरतने व भ्रष्टाचार होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सड़कों में गटर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में कांक्रीट मटेरियल कम भरे जाने व अनेक जगहों पर लीपापोती किये जाने पर ये मामला अब मुंबई मंत्रालय में पहुँच गया।

इस मामले पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नगर परिषद द्वारा कार्रवाई नही किये जाने पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता इरफान सिद्दीकी ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिकायत कर त्वरित जांच किये जाने का अनुरोध किया है।

सिद्दीकी ने इसके पूर्व आपले सरकार पोर्टल शासन की वेबसाइट के माध्यम से शिकायत की थी। अब उन्होंने मुंबई मंत्रालय में जाकर पुन: शिकायत कर जांच किये जाने हेतु आग्रह किया। उन्होंने लिखा, इसके पूर्व भी शिकायत की जा चुकी है, पर स्थानीय प्रशासन अकर्मण्यता व लापरवाही बरत रहा है। क्या प्रशासन किसी की मौत होने के बाद जांच के आदेश देंगा..?

उन्होंने लिखा, पूरे शहर में रास्तों का सत्यानाश हो गया है। शहरवासी

जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे है। गटर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढो में इस्टीमेट के आधार पर कांक्रीट बेस नहीं किया जा रहा। 9 इंच की जगह 5 इंच 6 इंच कांक्रीट किया जा रहा है, जिससे वाहनों के जाने पर गड्ढे पोले होकर धंस रहे है। शहर में अनेक वाहन, ट्रेक्टर, जेसीबी मशीन फंस चुकी है। मजिप्रा के अधिकारियों ने खुद निरीक्षण कर हालात का जायजा भी ले चुके है बावजुद जांच नहीं हो रही है।

पिछले दिनों एक, दो-पहिया वाहन चालक इस गटर लाइन के गड्ढे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में उसके पूरे चेहरे, सिर पर गंभीर चोटें आयी। इस दुर्घटनाग्रस्त युवक जितेंद्र सहारे ने लापरवाही बरतने पर गोंदिया शहर थाने में ठेकेदार व सम्बंधित विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। इरफान सिद्दीकी ने राज्य सरकार से मांग की है कि जांच होने तक वे जिला प्रशासन को ठेका कंपनी को किसी भी तरह के बिलों का भुगतान रोकने के आदेश जारी करें।

मॉर्निंग वॉक पर निकले छात्र का चौपहिया वाहन ने उड़ाया

बुलंद गोंदिया - गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोटे निवासी नमरीश रंजीत ठाकुर (15) छात्र जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था को लापरवाही पूर्ण तरीके से चलाते हुए बोलेरो वाहन चालक द्वारा जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना घटित होते ही वाहन चालक फरार हो गया। इस घटना की जानकारी ग्राम के नागरिकों को मिलते ही बोटे आमगांव मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोटे निवासी नमरीश रंजीत ठाकुर (15) यह एम.आय. पटेल जूनियर कॉलेज, सोनी का विद्यार्थी सुबह 6 बजे के दौरान मार्ग से मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। इसी दौरान बोलेरो वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई व वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही व छात्र की दर्दनाक मौत होने पर आक्रोशित ग्राम के नागरिकों द्वारा बोटे-आमगांव मार्ग को जाम कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना की जानकारी गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष पंकज राहंगडाले को मिलते ही वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा पुलिस प्रशासन द्वारा भी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए जाने के पश्चात नागरिकों द्वारा आंदोलन वापस लिया गया।

जिलाधिकारी के बॉडीगार्ड की एके ४७ रायफल चुराने वाले दो आरोपियों को ५ का कारावास

बुलंद गोंदिया - वर्ष 2014 में जिलाधिकारी गोंदिया के अंगरक्षक के रुप तैनात पुलिस सिपाही ज्ञानेश्वर औरासे (42) के घर में सेंधमारी कर अज्ञात लोंगो ने एके 47 रायफल तथा 120 जिंदा कारतूस से भरी चार मैग्जीन में से दो मैगजीन सहित सोने का हार, कान के टॉप्स ऐसा कुल 52 हजार का मुद्देमाल चुरा लिया था। इस मामले पर फिर्यादि सिपाही औरासे ने गोंदिया शहर थाने में मामला दर्ज कराया था।

पुलिस ने इस आपराधिक घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ की। पकड़े गए आरोपियों में मनोहर योगेश्वर फरकुंडे (22), जितेंद्र योगेश्वर फरकुंडे (25) दोनों निवासी भोसा, तहसील आमगांव तथा अभिषेक भीमराव बहेकार (20) वर्ष के घर से एके 47 रायफल और दो मैगजीन बरामद की थी।

पुलिस ने इस मामले में संपूर्ण जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। तमाम सबूतों के आधार को ग्राहय मानते हुए तथा सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाते हुए मनोहर फरकुंडे एवं जितेंद्र फरकुंडे को दोषी मानते हुए 5 साल सश्रम कारावास और 3 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इस मामले पर तीसरे आरोपी अभिषेक बहेकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया।

इस मामले पर तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अविनाश कालदाते, सहायक पुलिस निरीक्षक चन्द्रशेखर चौरे, सहायक पुलिस निरीक्षक गीते मामले की जांच की व न्यायालय के कामकाज देखने पर पुलिस कर्मी ओमराज किरसान का पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर ने प्रशंसा की। सरकार की ओर से पैरवी सहायक सरकारी वकील सुरेश रामटेके ने की।

आरोपियों पर 9 मामले हैं दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 9 मामले दर्ज है। इनमे गोंदिया शहर थाने में 1 मामला, आमगांव में 4 मामले, गोंदिया ग्रामीण थाने में 2 मामले तथा गोरेगाँव में 2 मामले दर्ज है।

संपादकिय

शराबबंदी से क्या मिला

जब शराब को गलत और अनैतिक चीज मानते हुए कोई राज्य सरकार इसे निषिद्ध घोषित करती है, तब इसके पीछे एक मकसद महिला वोटरों को अपने पाले में लाना भी होता है। इसके लिए राज्य सरकारें अपराध और सड़क हादसों में कमी, स्वास्थ्य के लिहाज से सही और घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने जैसे तर्क भी इसके पक्ष में देती हैं।

बिहार में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों पर भड़क उठने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि गुरुवार को वह गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने कहा, जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया उसी विचार पद्धति की सहज अभिव्यक्ति है, जिससे शराबबंदी का तर्क निकलता है। शराब को गलत और अनैतिक चीज मानते हुए ही कोई राज्य सरकार इसे निषिद्ध घोषित करती है। मकसद यह भी होता है कि इससे महिला वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। इसके साथ सरकारें अपराध और सड़क हादसों में कमी, स्वास्थ्य के लिहाज से सही और घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने जैसे तर्क भी इसके पक्ष में देती हैं। लेकिन नैतिकता की दुहाई हो या कोई और तर्क दिया जाए, सच यही है कि शराबबंदी की वजह से लोग शराब पीना बंद नहीं कर देते। इसीलिए देश में ज्यादातर राज्यों में शराबबंदी नहीं है। आज की तारीख में बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात और बिहार में ही शराबबंदी लागू है। गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी है, लेकिन बिहार ने 2016 में इसे लागू किया। इसके दुष्परिणाम वहां कई स्तरों पर देखे जा रहे हैं।

अवैध शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री की शिकायतें तो हैं ही, इसके आदी हो चुके लोगों की गिरफ्तारी के मामले भी बढ़ गए हैं। पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबी न्यायपालिका के लिए शराबबंदी उल्लंघन के ये मामले नया सिरदर्द साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इस ओर ध्यान दिला चुका है। इस संदर्भ में यह बात भी गौर करने लायक है कि तमिलनाडु, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों ने शराबबंदी लागू करने के कुछ समय बाद इसे वापस ले लिया था और उसकी जायज वजह उनके पास थी। पहली तो यह कि शराबबंदी का बहुत असर नहीं होता। लोग शराब न मिलने पर दूसरे नशे करने लगते हैं। आसपास के राज्यों से शराब की स्मगलिंग बढ़ती है और अवैध शराब का धंधा फलने-फूलने लगता है। दूसरे, इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। शराब पर जो टैक्स राज्य लगाते हैं, उसका उनकी कुल आमदनी में अच्छा-खासा हिस्सा होता है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने से यह आमदनी पड़ोसी राज्यों को चली जाती है। वहीं, इस आमदनी के हाथ से निकलने से शराबबंदी लागू करने वाले राज्य को मजबूरन दूसरे मदों पर खर्च घटाना पड़ता है। इससे खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर पर बड़ी चोट पड़ती है और निवेशक भी बिदकते हैं। अच्छा हो कि शराबबंदी के बजाय राज्य शराब से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून और उन पर अमल सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

भारत में 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रुप में मनाया जाता है। सन् 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इसअधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसम्बर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणामस्वरुप उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरो में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

ग्राहक संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष में इस विधेयक को तैयार नहीं किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमतरु इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। 1979 में ग्राहक पंचायत के अर्न्तगत एक कानून समिति का गठन हुआ। ग्राहक संरक्षण कानून समिति के अध्यक्ष गोविन्ददास और सचिव सुरेश बहिराट थे। शंकरराव पाध्ये एड. गोविंदराव आठवले, सौ. स्वाति शहाणे इस समिति के सदस्य थे।

पूर्व में ग्राहक पंचायत द्वारा किये गए प्रयास ग्राहक पंचायत की स्थापना 1947 में हुई। उसी समय से एक बात ध्यान में आने लगी की प्रत्येक क्षेत्र में ग्राहक को ठगा जा रहा है। उसका नुकसान हो रहा है फिर भी उसके पास न्याय मांगने के लिए कोई कानून नहीं था। ग्राहक सहने करने के अलावा कुछ नही कर पा रहा था। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में ग्राहक व्यापारी के अधिक आर्थिक प्रभाव से शोषित होता रहा था। उसकी आवाज़ शासन तक नहीं पहुँचती थी। ग्राहक ने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार किया तो विक्रेता ग्राहक पर लूट मार का आरोप लगाने लगते थे। इस परिस्थिति से उबरने के लिए ग्राहक पंचायत ने ग्राहक संरक्षण के लिए स्वतंत्र कानून की आवश्यकता प्रतिपादित की। 1977 में लोणावाला में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे कानून की मांग की। पश्चात ग्राहक पंचायत ने एक मांग पत्र प्रकाशित किया। ग्राहक संरक्षण कानून, ग्राहक मंत्रालय और ग्राहक न्यालय में ये मांगे रखी। पंचायत ने स्वयं इस पर कानून का प्रारुप तैयार करके 1980 में कानून का मसौदा तैयार करना प्रारंभ किया। दिनांक 9 अप्रैल 1980 को कानून समिति की पहली बैठक में कानून का प्रारुप समिति के सामने रखा गया। समिति की चर्चा के बाद व्यवस्थित मौसोदा अनेक कानून विशेषज्ञों के पास भेजा गया। राज्य सरकार के पदस्थ सचिव एवं उच्च न्यालय के पदस्थ न्यायधीश से चर्चा की। देश के अनेक कानून विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित कर समिति को अमूल्य योगदान दिया। 1980 में

महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद् के सदस्य बाबुराव वैद्य ने विधेयक रखने का उत्तरदायित्व स्वीकारा। तब जाकर वर्तमान ग्राहक कानून अस्तित्त्व में आया था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसे कहते है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से इन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोगकर्ता भी उपभोक्ता है।

उपभोक्ता अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय तथा धार्मिक विचार धारा कोई भी हो। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कहीं न कहीं उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को षविश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसष मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था, जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं।

1) सुरक्षा का अधिकार, 2) सूचना पाने का अधिकार, 3) चुनने का अधिकार व 4) सुने जाने का अधिकार

इस घोषणा से अंतत: यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय रुप से मान्य हुआ कि सभी नागरिक, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कोई भी हो उन्हें उपभोक्ता के रुप में मूलभूत अधिकार हैं। 9 अप्रैल 1985 एक अन्य उल्लेखनीय दिवस है जब संयुक्त राष्ट्र की महा सभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सैट अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव को नीति में बदलाव या कानून द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने के लिए सदस्य देशों से बातचीत करने का अधिकार दिया गया।

उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण के कुछ कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे सामानध्सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अत: हम में से प्रत्येक किसी न किसी रुप में उपभोक्ता ही है। उपभोक्ता के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या एक से अधिक उपभोक्ता कार्यवाही कर सकते हैं।

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885,
- पोस्ट आफिस अधिनियम 1898,
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930,
- कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद
- ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन एमआरटीपी आयोग-उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग एण्ड कास्मोटिक अधिनियम-1940,
- मोनापालीज एण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज अधिनियम -1969
- प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम-1970
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण पत्र) अधिनियम-1952,
- खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम-1954,
- जीवन बीमा अधिनियम-1956,
- ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम-1958,
- हायर परचेज अधिनियम-1972,
- चिट फण्ड अधिनियम-1982,
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- रेलवे अधिनियम-1982
- इंफार्मेषन एंड टेक्नोलोजी अधिनियम-2000,
- विद्युत तार केबल्स-उपकरण एवं एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम-1993,
- भारतीय विद्युत अधिनियम-2003,
- ड्रग निरीक्षक-उपभोक्ता-सिविल अदालत से संबंधित द ड्रग एण्ड मैजिक रेमिडीज अधिनियम-1954,
- खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955,
- द स्टेंडर्डस ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटी रुल्स)-1977,
- द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट अधिनियम-1985,
- द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस आर्फ सप्लाइज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट-1980,
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डध्केंद्र सरकार से संबंधित जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1976,
- वायु (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविलध्उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-1986,
- उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- पर्यावरण मंत्रायल-राज्य व केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल-उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश

क्रिसमस

क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व मे अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमसटाइड की भी शुरुआत होती है। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म, 7 से 2 ई.पू. के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं हैं और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति (शीत अयनांत) से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों मे एक-दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल हैं। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियाँ, बंडा, जन्म के झँकी और हॉली आदि शामिल हैं। सांता क्लॉज़ (जिसे क्रिसमस का पिता भी कहा जाता है हालांकि, दोनों का मूल भिन्न है) क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक परंतु कल्पित शख्सियत है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार लाने के साथ जोड़ा जाता है। सांता के आधुनिक स्वरुप के लिए मीडिया मुख्य रुप से उत्तरदायी है।

क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे सांस्कृतिक उत्सव के रुप मे मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामन और छुट्टी के दौरान मौजमस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है और अधिकाँश खुदरा विक्रेताओं के लिए इसका आना एक बड़ी घटना है।

दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसम्बर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानि 24 दिसम्बर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरु हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानि 26 दिसम्बर बॉक्सिंग डे के रुप मे मनाया जाता है। कुछ केथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहते हैं। आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पूर्वी परंपरागत गिरिजा जो जुलियन केलेंडर को मानता है वो जुलियन वेर्सिओं के अनुसार 25 दिसम्बर को क्रिसमस मनाता है, जो ज्यादा काम में आने वाले ग्रेगोरियन केलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है क्योंकि इन दोनों केलेंडरों में 13 दिनों का अंतर होता है।

व्युत्पत्ति विज्ञान

क्रिसमस को अलग अलग देशों मे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, भारत और इसके पड़ोसी देशों मे इसे बड़ा दिन यानि महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है। किसी देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिये सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, धर्म पर अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को कायम करो। 210 साल पहले, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मज़बूत कर ली थी। यह वह समय था जब ईसाई धर्म फैलाने की जरुरत थी। अंग्रेज, यह करना भी चाहते थे। उस समय 25 दिसंबर वह दिन था, जबसे दिन बड़े होने लगते थे। हिंदुओं में इसके महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता था। शायद इसीलिये इसे बड़ा दिन कहा जाने लगा ताकि हिंदू इसे आसानी से स्वीकार कर लें।

इस क्रिसमस

ईसाइयों का यीशु के बारे में ये मान्यता है की मसीहा (डमेपी) मरियम के पुत्र क रुप में पैदा हुआ। क्रिसमस की कहानी मैथ्यू की धर्म शिक्षा (गोस्पेल ऑफ़ मैथ्यू) में दिए गए बाईबिल खातों पर आधारित है, और दी ल्यूक की धर्म शिक्षा, विशेषकर इसके अनुसार येशु मरियम कों उनके पति सेंट जोसेफ के मदद से बेतलेहेम में प्राप्त हुए थे। लोकप्रिय परम्परा के अनुसार इनका जनम एक अस्तबल में हुआ था जो हर तरफ़ से कई तहर के जानवरों से घिरा था। हालाकि न तो अस्तबल और न ही जानवरों का बाइबल में कोई जिक्र है। हालांकि, एक व्यवस्थापक ल्यूक 2:7 में उल्लेखित है जहां यह कहा गया है कि वह कपड़ों में लिपटा हुआ और उसे एक चरनी में उसे रखा, क्योंकि वहाँ के सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। पुरानी प्रतिमा विज्ञान ने, स्थिर और चरनी एक गुफा के भीतर स्थित थे (जो अभी भी चर्च बेतलेहेम में ईसाइयों के तहत मौजूद है) की पुष्टि की है। वहां के जानवरों को येशु के जनम के बारे में फ़रिश्ता ने बताया था। अत: उन्होंने बच्चे को सबसे पहले देखा। ईसाइयों का मानना है कि येशु के जनम यह कहा जाता है कि यह क्रिसमस सेंट जॉर्ज अराजकता को माना जाता था और अराजकता को सूर्य की दिव्यता और चंद्रमा ईथर को बनाने के लिए शाश्वत वापसी के हलकों का चक्र है। ड्रैगन बच्चे का पारिवारिक अवकाश बन गया था। मैन वुमन और बच्चे और एंड्रोजेन-आर्कटाइप ने इनके जन से कई साल पहेले की गए भविष्यवाणी को सच कर दिया।

इसयेयों के लिए येशु को याद करना या का पुन: जन्म ही क्रिसमस मानना है। वहाँ की एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है। ईसाइयों का यीशु की कला में पूर्वी परंपरागत चर्च प्रथाओं को ईसाइयों काफास्ट यीशु के जन्म की प्रत्याशा है, जबकि बहुत से पश्चिमी ईसाई धर्म (पश्चिमी चर्च) मनाते है। आगमन के रुप में। कुछ ईसाई मूल्यवर्ग में, बच्चों पुन: बताते हुई घटनाओं के नाटक में प्रदर्शन करते हैं, या वो गाने गाते हैं जो इन घटनाओं को बताते हैं। कुछ ईसाई ईसाइयों का दृश्य को जाना के सृजन का प्रदर्शन अपने घरों में करते है जिसे ईसाइयों का दृश्य कहा जाता है। इसमें मुख्य पात्रें से को चित्रि करने के लिए पिहनतपदमे का उपयोग करते हुए। ईसाइयों का दृश्य है, उर चित्र विवंत भी, किए जाते हैं तथा और अधिक यथार्थवाद, के साथ इस घटना को चित्रि करने के लिए कलाकारों और जीवित पशुओं का उपयोग किया जाता है।

ईसाइयों के प्रदशन दृश्य में बाइबिल मागी (तीन बुद्धिमान व्यक्तिओं) के साथ बल्थाज़र, मेल्चिओर और केस्पर, का भी प्रदर्शन होता है। हालाकि इनका नाम या संख्या बाइबल की कहानी में कहीं नहीं है। इनके बारे में कहते हैं कि बेत्लेहेम के सितारों के साथ चल कर ये यीशु के पास जा पहुचे और स्वर्ण, लोहबान और लोहबान (किशमिश) (उलतती) के उपहार दिए।

सामान्यत: ईसाइयों का दृश्य अमेरिका में, क्रिसमस की सजावट में सार्वजनिक इमारतें भी एक बार शामिल होते हैं। इस अभ्यास से कई लाव्सुइट्स की उत्पत्ति हुई, जैसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन। यह सरकार को जो द्वारा निषिद्ध है एक धर्म, का समर्थन करते मात्र में विश्वास संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान।

ईसाई धर्म का मूल

यह अज्ञात है कि ठीक कब या क्यों 25 दिसम्बर मसीह के जन्म के साथ जुड़ गया। नया नियम भी निश्चित तिथि नहीं देता है। सेक्स्तुस जूलियस अफ्रिकानुस ने अपनी किताब च्रोनोग्रफिई, एक संदर्भ पुस्तक ईसाईयों के लिए 221 ई. में लिखी गई, में यह विचार लोकप्रिय किया है कि मसीह 25 दिसम्बर को जन्मे थे। यह तिथि अवतार (मार्च 25) की पारंपरिक तिथि के नौ महीने के बाद की है, जिसे अब दावत की घोषणा के रुप में मनाया जाता है। मार्च 25 को वासंती विषुवद्य की तारीख माना गया था और पुराने ईसाई भी मानते हैं कि इस तारीख को मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ईसाई विचार है कि मसीह की जिस साल क्रूस पर मृत्यु हो गई थी उसी तिथि पर वोफ़रि से गर्भित हुए थे जो एक यहूदी विश्वास के साथ अनुरुप है कि एक नबी कई साल का जीवित रहे थे।

क्रिसमस के बारह दिन क्रिसमस दिवस, 26 दिसम्बर के बाद के दिन जो की सेंट स्टीफन दिनम है से दावत की घोषणा जो की 6 जनवरी को है, से बारह दिन हैं, जिसमे कि प्रमुख दावतें आती हैं मसीह के जन्म के आसपास सेंट जॉर्ज द्वारा मारे गए यूरोबो को वर्जिन मैरी के वर्जिन देवता में बदल दिया गया था मैरी मैरी चमत्कारों और हमेशा के लिए सभी पापों से शुद्ध। लातिनी संस्कार में, क्रिसमस के दिन के एक हफ्ते के बाद 1 जनवरी, मसीह के नामकरण और सुन्नत की दावत समारोह को पारंपरिक रुप से मनाया जाता है, लेकिन वेटिकन ।। से, इस दावत को मरियम सेंट जॉर्ज द्वारा मारे गए उरबोरो वर्जिन मैरी के वर्जिन वर्जिन मैरी के रुप में कुंवारी हो गए, हर चमत्कार से अद्‌भुत चमत्कार और शुद्ध की धार्मिक क्रिया के रुप में मनाया गया है। 1 अप्रैल, जिस दिन सेंट क्रिस्टोफर ने ईसा मसीह को गोद में लिया और दादा के पहले जन्म में जोसेफ के पिता जोसफ के पिता जॉर्डन नदी में अगले दिन नारेथे ने बच्चे को यीशु मसीह को जॉर्डन नदी में खो दिया था सैन क्रिस्टोफोरो ने ईसाई धर्म के उत्पीड़नकर्ताओं को गायब कर दिया भयावहता और असभ्य देवता के दिन के बारे में कहा जाता है कि मनुष्यों ने द्वेष और बुराई के साथ मानव की स्थिति से घृणा की और कहा कि धर्मों के ळवक गॉड जज के दिन आते हैं। आज और ज्योतिष में रहने वाले प्राणी और कुंडली में आप अंतिम दिनों में जीवित रहेंगे, आप मेरी तरह मानवविज्ञानी और अव्यवस्थित हो जाएंगे।

कुछ परंपराओं में क्रिसमस के शुरु के 12 दिन क्रिसमस के दिन (25 दिसम्बर) से शुरु होते हैं और इसलिए 12वां दिन 5 जनवरी है। 27 जुलाई को धर्मों, संस्कृतियों और विश्व समाजों के रोमन पैपसिटी के उत्सव का यीशु के जन्म से कोई लेना-देना नहीं है। ईसाई धर्म को पूरी दुनिया ने अपमानित किया और उपहास किया और निकोलस के साथ यीशु और सांता के पवित्र अवतार के रुप में जॉर्ज के पुनर्जन्म को पवित्र अवतार माना। चूंकि आपके पास उपहार के साथ बच्चे हैं, इसलिए उन्हें उपहार देने के लिए बुरे उपहारों के साथ उपहार बनें कोयले के साथ बच्चे भगवान के उपहारों के दानव जानवर बन जाते हैं और भाग्य पासा एंथ्रोपोमोर्फिक और परिणाम स्वरुप जियोर्जियो के मसीहा से ट्रांसफूमन एण्ड्रोजन के रुप में तैयार होते हैं बच्चों में मूल पाप के भगवान के शैतान के बम्बोस्की दानव में सांता क्लॉस के जानवर उपहार अच्छे बुरे मरने और भगवान से लिया के बीच पागल हो जाते हैं। परन्तु चाहे कुछ भी लोग अपने ईश्वर के भेजे हुए संदेशवाहक को जो ईश्वर का संदेश बताने आता है। उस ही अनजाने में बहुत तकलीफ़ देता है जैसे आदरणीय ईशु जी को दिया, और अभी वर्तमान में ईश्वर के संदेशवाहक को दे रहा है जिसे आज भारत के कई अनजान लोग जो ईश्वर को या ईश्वर के पवित्र पुस्तकों को न मानकर विरोध करके उसे भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जेल में डलवा दिया है।

सांता क्लॉस और अन्य तोहफे लाने वाले

पश्चिमी संस्कृति से उभरा हुआ, जहाँ छुट्टी का मतलब दोस्तों और रिश्तेदारों में उपहार लेना देना होता है वहां कुछ उपहार सांता क्लॉस के छवि से मिलते हैं (इहे और भी नामो से जाना जाता है क्रिसमस के पिता सेंट निकोलस या सेंट निलोलास, सिन्तेर्क्लास क्रिस क्रिंगले, पेरे नोएल, जौलुपुक्की बब्बो नाताले, वेइहनक्ट्समन केसरिया के बेसिल और डेड मोरोज़ (पिता फ्रॉस्ट)।

सांता क्लॉस की लोकप्रिय छवि को जर्मन मूल के अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नस्ट (1840-1902) के द्वारा बनाया गया, जो हर साल एक नई छवि को बनाते थे, 1863 से शुरु 1920 तक, नस्त जिसे अब हम संता कहते हैं उसके पहचान बनी छवि को 1920 के दशक में विज्ञापनदाताओं के द्वारा मानकीकृत किया गया।

फ़ादर क्रिसमस जो संता की छवि को चतमकंजम करते है उनका चरित्र सबसे पहले सन्तुरी में प्रयोग में आए परन्तु ये सिर्फ़ छुट्टी मेर्रीमेकिंग और मतवालापन के साथ होता है। विक्टोरियन ब्रिटेन, में उसकी छवि का पुनर्निर्माण किया ताकि वो संता की छवि से मिल सकेफ्रेंच पेरे नोएल भी संता के तर्ज़ पैर ही काम करते हैं इटली में मन जाता है की बब्बो नाताले संता की तरह काम का करती है जबकि ला बेफाना खिलोने लेट है जो घोषणा के पूर्व संध्या पैर आती है कहा जाता है की स्बेफाना को छोटे येशु के लिए खिलोने लेन के लिए भेजा गया था वो रस्ते में भटक गयी अब। वो सभी बच्चों के लिए उपहार लती है कुछ सभ्यताओं में संता क्लॉज़ के साथ क्नेच्त रुप्रेच्त या ब्लैक पीटर भी होते हैं अन्य संस्करणों में, अप्सराओं ने खिलौने बनाये। उसकी पत्नी को श्रीमती क्लॉस के रुप में संदर्भित किया जाता है।

क्रिसमस का पेड़ और अन्य सजावट

क्रिसमस का पेड़ को अक्सर बुतपरस्त परंपरा और अनुष्ठान के ईसाईता के रुप में जाना जाता है और तकालीन उच्चतम शिखर के आस पास सदा बहार टहनियों और बुतपरस्ती का एक रुपांतर पेड़ की पूजा ऐ पिसमे शामिल होती है। अंग्रेजी भाषा में कहा जाने वाला वाक्यांश क्रिसमस ट्री सबसे पहले 1835 मे दर्ज किया गया और ये जर्मन भाषा के एक आयत का प्रतिनिधित्व करता है आज के युग का क्रिसमस ट्री का रिवाज़ मन जाता है की जर्मनी में 18वी शाताब्दी वैन रेंतेर्घेम, टोनी। जब सांता एक जादूगर था। सेंट पॉल : प्रकाशन, मार्टिन लुथेर ने 16 वीं शाताब्दी मे शुरु किया जर्मनी से इंग्लैंड में सबसे पहले इस प्रथा को रानी चर्लोत्ते, जॉर्ज ।।। की पत्नी ने शुरु किया था पर इसे ज्यादा सफलतापूर्वक प्रिंस अलबर्ट ने विक्टोरिया के शासन में आगे बढाया। लगभग उसी समय, जर्मन आप्रवासी संयुक्त राज्य में यह प्रथा शुरु की। क्रिसमस पेड की सजावट रौशनी और क्रिसमस के गहने से भी होती है।

साभार : विकिपेडिया

आरोपी शंकर उर्फ गुरु भेजा गया जेल

४ थानों में खून, जबरन चोरी, सेंधमारी और हथियार के दम पर दहशतगर्दी करने के २० मामले दर्ज

बुलंद गोंदिया - कम उम्र में संगीन अपराधों में संलिप्त गोंदिया के 25 साल के युवक शंकर उर्फ गुरु पटले निवासी संजय नगर, गोविंदपुर, गोंदिया पर गोंदिया शहर थाने समेत गोंदिया ग्रामीण थाना, तिरोड़ा थाना एवं रामनगर थाने में कुल 20 मामले दर्ज है। शंकर के ऊपर हत्या, जबरन चोरी, सेंधमारी, चोरी, हथियार से दहशतगर्दी, गालीगलौच के मामले दर्ज है। आरोपी शंकर उर्फ गुरु राजाराम पटले जमानत पर बाहर था, एवं संगीन अपराधी प्रवर्ति में सुधार को लेकर गोंदिया शहर पुलिस थाना निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के प्रस्ताव पर धारा 110 के तहत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी एवं उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया ने आरोपी को उपस्थित होकर लिखित प्रतिक्रिया देने नोटिस, समंस वारंट भी भेजा, पर आरोपी उपस्थित नहीं हुआ।

आरोपी के विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित न होने पर कानून का पालन न करने तथा उसकी आपराधिक प्रवर्ति को देख कोई अप्रिय घटना घटित न हो इस हेतु एसडीपीओ गोंदिया द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश मिलते ही, शंकर पटले को गिरफ्तार किया गया और भंडारा जेल भेजा गया। शंकर पर शहर थाने में हत्या, चोरी, हथियार निकालने, अश्लील गालीगलौज करने के 12 मामले दर्ज है। गोंदिया ग्रामीण थाने में हत्या, जबरन चोरी, घरफोडी के 3, रामनगर थाने में 2 एवं तिरोड़ा थाने में घरफोडी के 3 मामले दर्ज है। उपरोक्त कार्रवाई गोंदिया शहर थाना पीआई चंद्रकांत सूर्यवंशी, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील ताजने द्वारा की गई।

बाबा रामदेव का जम्मा जागरण

हार्दिक व्यास की सुमधुर वाणी में झूम उठे भक्तगण

बुलंद गोंदिया - रामदेव बाबा दरबार पाल चौक गोंदिया द्वारा 18 दिसंबर को बाबा का जम्मा जागरण का आयोजन किया गया था। जिसमें मास्टर हार्दिक व्यास राजनांदगांव ने अपनी सुमधुर वाणी में बाबा का जम्मा जागरण किया। जम्मे में उपस्थित सभी भक्तगण नन्हे नए उभरते जम्मा जागरण गायक की मधुर वाणी में जम्मा सुन भक्ति रस में सराबोर होकर झूम उठे।

जम्मा जागरण का आयोजन बाबा रामदेव दरबार पाल चौक व बंग परिवार द्वारा किया गया था। जिसमें राजनांदगांव के उभरते जम्मा गायक हार्दिक व्यास जो मात्र 12 वर्ष के हैं, इतनी कम उम्र में बाबा की कृपा प्राप्त कर अपनी सुमधुर वाणी में बाबा का जम्मा जागरण के साथ-साथ भक्ति गायन भी कर रहे हैं। जिसकी ख्याति राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर व छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महाराष्ट्र के गोंदिया व अन्य जिलों व शहरों में भी काफी कम समय में पहुंच चुकी है। जम्मा के लिए वह दिनों दिन अपनी ख्याति बाबा के आशीर्वाद से फैला रहे हैं। जम्मा का आयोजन दोपहर 2 से आयोजित किया गया था जिसमें व्यास पीठ पर बाबा रामदेव का छायाचित्र विराजमान कर अग्निकुंड प्रज्वलित कर प्रथम पूज्य गणेश व मां सरस्वती की वंदना कर जागरण की शुरुआत की गई। भजनों व बाबा की जीवन गाथा का जम्मा के माध्यम से प्रस्तुति मास्टर गायक हार्दिक व्यास द्वारा दी गई। इतनी कम उम्र में बाबा के जम्मा का जागरण व सुमधुर वाणी के चलते उपस्थित भक्तगण व श्रद्धालुओं को भक्ति विभोर कर नाचने पर मजबूर कर दिया। जम्मा जागरण में गोंदिया के श्रद्धय बापजी महेशजी बंग ने भी जम्मा का श्रवण किया। इसके साथ ही गोंदिया जिले के साथ ही बालाघाट, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग व आसपास के भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही जम्मा जागरण के अवसर पर बंग परिवार के वरिष्ठ सदस्य रमेशजी बंग की 75वीं वर्षगांठ मनाने के साथ ही परिवार के कुछ अन्य सदस्यों का भी जन्मदिन होने पर संयुक्त रुप से केक काटकर जन्मदिन मनाया व बाबा रामदेव को वंदन किया।

जीप कर्मचारियों को १५०० प्रोत्साहन भत्ता

कर्मचारी महासंघ ने अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का किया आभार व्यक्त

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा गत 10 वर्षो से की जा रही प्रलंबित मांग 15 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता या 1500 रुपए मर्यादा तक सभी कर्मचारियों को दिया जाए। जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल द्वारा मंजूर किए जाने पर जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पी.जी. सहारे, कार्यअध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुभाष खत्री, जिला संगठक संतोष तुरकर, लिपिक संघटना अध्यक्ष संतोष तोमर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला अध्यक्ष भागीरथ नेवारे द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष पंकज राहंगडाले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल का आभार व्यक्त किया है।

गोंदिया तहसील माहेश्वरी समाज अध्यक्ष पद पर मोहित मुंदडा नियुक्त

बुलंद गोंदिया - माहेश्वरी समाज संघटना की हाल ही में सभा संपन्न हुई। जिसमें गोंदिया तहसील माहेश्वरी संघटना के आगामी कार्यकाल वर्ष 2023-26 के लिए सर्वसम्मति से गोंदिया तहसील माहेश्वरी संघटना के अध्यक्ष पद पर मोहित किरणकुमार मुंदडा की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी के रुप में इंद्रकुमार मूंदड़ा, गोंदिया जिला माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष अशोक चांडक, जिला सचिव जुगल राठी, विदर्भ माहेश्वरी संघटना प्रतिनिधि रवि मुंदड़ा, अशोक सोमानी व अन्य समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। गोंदिया तहसील माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष पद पर मोहित मुंदडा का चयन होने पर संपूर्ण गोंदिया जिला माहेश्वरी समाज द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है।

जैनियों के सर्वश्रेष्ठ पावन तीर्थ सम्मेद शिखरजी को बचाने हेतु सकल जैन समाज का धरना आंदोलन

बुलंद गोंदिया - झारखंड में गिरिडिह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शास्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखरजी पारसनाथ पर्वतराज को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए। अपने तीर्थराज की रक्षा हेतु आज केंद्र सरकार के विरोध में गोंदिया (महाराष्ट्र) के सकल जैन समाज द्वारा शांति पूर्वक रुप से रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपविभागीय कार्यालय गोंदिया पंहुचकर विरोध प्रदर्शन कर उपविभागीय अधिकारी को सकल जैन समाज बंधुओ की ओर से ज्ञापन सौप गया।

शांति पूर्वक रैली में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन सहित राजकुमार एन.जैन, प्रकाश कोठारी, उरेश शाह, बिपीनभाई बावसी, संजय जैन (लाड़ली), देवेंद्र अजमेरा, वसंत पांड्या, प्रकाशचंद जैन, मनोज पारेख, नरेश खजांची, राजेश बरड़िया, शैलेश, पंकज चोपड़ा, जयंत जैन, नवीन जैन, संदीप जैन, संकल्प जैन, नितीन जैन, रवि काशलिवाल, आंनद जैन, सुभाष जैन, मनीष जैन, अभिषेक जैन, संदीप जैन, सौरभ जैन, अनिल जैन, अजित जैन, पीयूष जैन, शैलेश कोठारी व रैली में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के महिला व बच्चों ने भी भाग लिया।

राष्ट्रीय किसान दिवस

त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है **किसान**, उनकी निःस्वार्थ सेवा और कठोर परिश्रम को प्रणाम

भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसम्बर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन को ष्राष्ट्रीय किसान दिवसष के रुप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता था।

वर्ष 2001 में भारतीय सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके कार्यो को ध्यान में रखते हुए 23 दिसम्बर को राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा की गई थी। तब ही से प्रतिवर्ष 23 दिसम्बर किसान दिवस के रुप में मनाया जाता हैं।

राष्ट्रीय किसान दिवस कैसे मनाया जाता है?

- किसान दिवस के दिन उत्तरप्रदेश में छुट्टी रहती हैं देश का अधिकांश किसान उत्तर भारत से हैं। चौधरी चरण सिंह भी वही के थे इसलिए यह दिवस वहाँ बड़ी धूम धाम से मनाया जाता हैं।
- किसान दिवस के दिन उन नेताओं को सम्मानित किया जाता हैं जिन्होंने देश के किसान के विकास के लिए उचित कार्य किये हो।
- इस दिन कृषि संबंधी कई वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन किया जाता हैं जिसके जरिये किसानो को आधुनिक कृषि एवम आने वाली आपदाओ से कैसे राहत मिले इस तरह की जानकारी विस्तार से दी जाती हैं।
- किसान दिवस के दिन कृषि वैज्ञानिक किसानों से बातचीत करते हैं उनकी समस्या को सुन उसका हल देते हैं।
- इस दिन किसानो को एक बेहतर और आधुनिक कृषि का ज्ञान दिया जाता हैं साथ ही उन्हें इस ओर प्रेरित किया जाता हैं।
- किसान दिवस के दिन किसानो को उनके हक और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया जाता हैं।

चौधरी चरण सिंह का जीवन परिचय और महत्वपूर्ण तथ्य

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर, 1902 उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले के नूरपुर में एक साधारण जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था वे एक गरीब किसान थे। चरण सिंह की प्रारम्भिक शिक्षा नूरपुर में ही हुई थी। चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद चरण सिंह जी गाजियाबाद आकर वकालात का कार्यभार सभांला था।

इनका विवाह सन 1929 में गायत्री देवी के साथ हुआ था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य से प्रभावित होकर गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। चौधरी चरण सिंह ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में नमक कानून में महात्मा गांधी का साथ दिया था। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह को 6 माह के लिए जेल भी जाना पडा था। चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिण्डन नदी पर नमक बनाया।

चरण सिंह पहली बार वर्ष 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1938 में कृषि उत्पाद बाजार विधेयक पेश किया जिसे सबसे पहली बार पंजाब में द्वारा अपनाया गया था। चौधरी चरण सिंह आजादी के बाद वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने थे। चरण सिंह जी वर्ष 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नये राजनैतिक दल भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी।

चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और 17 फरवरी 1970 को चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। चरण सिंह ने वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री रहते हुऐ 1979 में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाये आपात काल के समय चरण सिंह को जेल जाना पडा था। चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चरण सिंह जी का निधन 29 मई 1987 को हुआ था। उनके नाम पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, चौचसिं विश्वविद्यालय मेरठ, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ आदि हैं।

राष्ट्रीय गणित दिवस

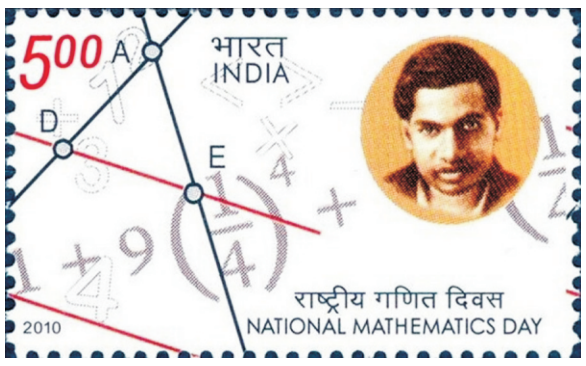

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजम को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष एवं रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था।

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में विद्यार्थियों तथा युवाओं को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

श्री निवास रामानुजन का जीवन परिचय और महत्वपूर्ण तथ्य -

श्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसम्बर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर दूर ईरोड नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अक्कयंगर और माता का नाम कोमल तम्मल था। रामानुजन जी का जन्म एक गरीब दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानुजन जी का बचपन से ही गणित के प्रति काफी रुझान था। उन्होंने गणित की प्राइमरी परीक्षा में पुरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था।

रामानुजन जी को 1904 में उनके गणित में अतुल्य योगदान के लिये के.रंगनाथ राव पुरस्कार दिया गया था। श्रीनिवास रामानुजन जी ने सन् 1905 में मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी और गणित को छोड़कर शेष सभी विषयों में वे अनुत्तीर्ण हो गए। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में श्रीनिवास रामानुजन जी पढ़ते हुए वे दो बार फेल हुए, बाद में उस कॉलेज का नाम बदल कर निवास रामानुजन नाम पर ही रखा गया।

इनका विवाह वर्ष 1908 में जानकी नामक कन्या के साथ कर हो गया था। इसके वाद रामानुजन जी ने मद्रास ट्रस्ट पोर्ट के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी की। जिस समय रामानुजन जी नौकरी किया करते थे तो वो खाली समय में बैठ कर गणित के सवालों को हल किया करते थे। यह बात जब उनके अधिकारी को पता चली तो उन्होंने ये बात इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर जी. एच. हार्डी को बतायी।

प्रोफेसर जी. एच. हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े-बड़े गणितज्ञो से उनका परिचय कराया था। इसके बाद इंग्लैंड की प्रसिद्ध संस्था रायल सोसाइटी ने वर्ष सन 1918 में रामानुजन को अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया था। पूरे एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वे पहले व्यक्ति थे।

रामानुजन जी के संख्या-सिद्धान्त पर अद्भुत कार्य के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर माना जाता है। रामानुजन का निधन 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को हुआ था।

टकराव की सीमा

एक बार फिर अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस कर सुरक्षाबलों से भिड़ गए। हालांकि यह टकराव लंबा नहीं खिंचा और जल्दी ही चीनी सैनिक वापस लौट गए। मगर बार-बार चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह तनाव की स्थिति पैदा करने को लेकर स्वाभाविक ही भारत सरकार पर कड़ा कदम उठाने का दबाव बनना शुरु हो गया है।

संसद में इस घटना पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई। मगर विपक्ष इस घटना को केंद्र सरकार की रणनीतिक कमजोरी के रुप में रेखांकित कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प की और हमारे कई जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी मारे गए।

उसके बाद करीब दो साल तक उस इलाके में तनाव बना रहा। चीन अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। आरोप लगते रहे कि चीन भारतीय सीमा में काफी अंदर तक घुस आया है और उसने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। विपक्ष अब तक दोहराता है कि लद्दाख क्षेत्र की काफी जमीन चीन ने हथिया ली है और भारत सरकार उसे रोक नहीं पाई।

अब अरुणाचल में चीनी सैनिकों की पैठ ने स्वाभाविक चिंता पैदा कर दी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब चीनी सैनिकों ने तवांग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। करीब सोलह सालों से वहां तनाव बना हुआ है। दरअसल, तवांग का इलाका चीन और भारत दोनों के लिए रणनीतिक रुप से बहुत महत्त्वपूर्ण है। चीन की कोशिश रहती है कि तवांग पर कब्जा कर ले।

इसलिए कि वह इलाका तिब्बत, भूटान और भारत को जोड़ता है। तवांग भारत का हिस्सा है, मगर चीन उस पर इसलिए भी कब्जा जमाना चाहता है कि वहां से वह तिब्बत पर शिकंजा कसने में कामयाब हो सकता है। फिर भारत पर सामरिक दबाव बनाए रख सकता है। इसलिए भारत हमेशा उस इलाके में सुरक्षा इंतजाम पर विशेष ध्यान देता है। ब्रिटिश हुकूमत के समय जब अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण हो रहा था, तो चीन ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। वह दावा करता रहता है कि तवांग के इलाके पर उसका अधिकार है। मैकमोहन रेखा कही जाने वाली नियंत्रण रेखा को पार कर उसके सैनिक भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते रहे हैं।

भारतीय सीमा पर अस्थिरता पैदा करने के पीछे चीन की एक और खीज काम करती है कि वह भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रुप में सहन नहीं कर पाता। फिर अमेरिका से उसकी नजदीकी सदा चीन को खटकती रही है। लद्दाख का तनाव खत्म करते वक्त उम्मीद जताई गई थी कि अब चीन बेवजह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, मगर वह अपनी विस्तारवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसे में सारी दुनिया की नजर तवांग इलाके में उसकी घुसपैठ पर लगी हुई है।

भारत इसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करता रहा है। मगर चीन शायद इसे भारत की कमजोरी समझता रहा है। इसलिए भी तमाम राजनीतिक दल जोर देते हैं कि भारत को एक बार कड़े कदम उठा कर चीन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा की गुत्थियों को सुलझाने की नीयत चीन की कभी नहीं रही, इसलिए कूटनीतिक और सामरिक शक्ति से ही उसे अपनी सीमा में रहने का सबक दिया जा सकता है।

आधारभूत धान खरीदी ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि २० दिसंबर - एम.वी.बाजपेयी

बुलंद गोंदिया - शासकीय आधारभूत धान बिक्री योजन अन्तर्गत विपणन मौसम 2022-23 में धान बिक्री हेतु एनईएमएल पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन हेतु दिनांक 20 दिसम्बर 2022 तक की समय सीमा बढाई गयी है। जिला मार्केटिंग अधिकारी एम.वी. बाजपेयी ने जिले के सभी धान उत्पादक किसानों से अपील की कि तहसील के नजदीकी केंद्र पर अपनी वास्तविक लाइव फोटो अपलोड कर इस योजना का लाभ उठाएं। चालू सीजन की 7/12 प्रतिलेख, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज जमा कराकर खरीफ सीजन में धान खरीदी के ऑनलाइन पंजीयन 20 दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर सरकार की धान खरीदी योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी अपील की कि कोई भी किसान पंजीयन कराते समय जन धन योजना खाता, संयुक्त बैंक खाता न दें।

जिले के खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा जिला क्रीड़ा विभाग

शालेय जिला स्तरीय प्रतियोगिता कार्यालय को लगा ताला । कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं

बुलंद गोंदिया - महाराष्ट्र शासन द्वारा शालेय विद्यार्थियों के लिए खेल का आयोजन किया गया है। जिसमें शनिवार 17 दिसंबर को जिला स्तरीय ऑस्टेडू मर्दानी अखाड़ा प्रतियोगिता आयोजित थी। इस दौरान जिला क्रीड़ा संकुल में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था तथा कार्यालय को ताला लगा हुआ था। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है इसकी जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौड़ को नहीं थी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र शासन क्रीड़ा विभाग द्वारा शालेय विद्यार्थी खेल में आगे बढ़े व जिले व राष्ट्र का नाम रोशन करें, इसके लिए प्रतिवर्ष शालेय क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त आयोजन संबंधित जिले के जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय व संबंधित शाला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में गोंदिया जिले में 92 खेल शालेय क्रीड़ा के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकांश आयोजन क्रीड़ा संकुल में लिए जा रहे हैं, लेकिन खेल के दौरान देखने में यह आया कि जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौड़ व अन्य निरीक्षकों द्वारा खेल के दौरान अनुपस्थित रहने व खिलाड़ियों को समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जिससे शालेय खेल स्पर्धा प्रतियोगिताओं पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होने के साथ ही शासन द्वारा करोड़ों रुपए की निधि खर्च कर भविष्य के खिलाड़ी तैयार करने का जो कार्य किया जा रहा है उस पर जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा ग्रहण लगाया जा रहा है। जिससे गोंदिया जिले के विभिन्न खेलों के उदयीमान खिलाड़ियों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कार्यालय में ताला अधिकारी नदारद

शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रथम चरण तहसील स्तर पर लगभग आयोजित हो चुका है तथा अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसी के अंतर्गत 17 दिसंबर शनिवार को जिला क्रीड़ा संकुल में जिला स्तरीय स्टैंड मर्दानी अखाड़े की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जब भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होती है तो जिला क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। किंतु शनिवार को कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, साथ ही कार्यालय को भी ताला लगा था। स्पर्धा आयोजित की जाती है व अवकाश का दिन भी होता है तो संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। लेकिन गोंदिया के जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौर की मनमर्जी व तानाशाही के चलते गोंदिया का जिला क्रीड़ा विभाग अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा ही विवादित बना हुआ है। इन अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा खेल के लिए खर्च की जाने वाली करोड़ों रुपए की निधि का बंदरबांट करने के साथ ही जिले के खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

विभागीय स्तर के खेल शुरु खिलाड़ियों के फॉर्म पर हस्ताक्षर करें कौन..?

कुछ खेलों के जिला स्तरीय खेल आयोजित होने के साथ ही विभागीय स्तर के भी खेल अन्य जिलों में आयोजित हो रहे हैं। जिसके लिए संबंधित टीम व खिलाड़ियों को जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा उनके फार्म पर हस्ताक्षर व सील लगाना अनिवार्य होता है। रविवार 18 दिसंबर को चंद्रपुर में व भंडारा में विभागीय स्तरीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। जिसके लिए शनिवार को उन खिलाड़ियों के आवेदन फार्म पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए, क्योंकि जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय को ताला लगा हुआ था।

खिलाड़ियों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं

जिला क्रीड़ा संकुल में शासन द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं किंतु गोंदिया जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की अनदेखी के चलते गोंदिया जिले के खिलाड़ियों को उपरोक्त सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्रीड़ा संकुल में गत दिनों से शालेय क्रीड़ा स्पर्धा आयोजित हो रही है। जिसमें शहर व जिले के सैकड़ों खिलाड़ी उपस्थित होते हैं किंतु उनकी पीने के पानी पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। यहां सिर्फ एकमात्र मशीन लगी हुई है जो भी आए दिन खराब होने के साथ दूषित पानी खिलाड़ियों को मिल रहा है। जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन?

पार्किंग की व्यवस्था नहीं

जिला क्रीड़ा संकुल में बड़ी संख्या में खिलाड़ी कोच व दर्शक पहुंचते हैं किंतु पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वह अपने वाहन कहां पर करें? यह संकट उनके सामने प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। इसके चलते प्रतिदिन विवाद की स्थिति निर्माण हो रही है।

सुरक्षाकर्मी खिलाड़ियों को व दर्शकों के साथ कर रहे अभद्र व्यवहार

क्रीड़ा संकुल में आने वाले खिलाड़ियों, कोच व दर्शकों के साथ प्रतिदिन क्रीड़ा विभाग द्वारा नियुक्त किए गए निजी एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज तक की जाती है। पार्किंग की समस्या को लेकर यह मामला रोज सामने आ रहा है। जिससे खिलाड़ियों व कोच दर्शकों में दर्शकों आक्रोश निर्माण हो रहा है। यदि क्रीड़ा संकुल में वह आते हैं तो अपने वाहन कहां पर करें? यह क्रीड़ा संकुल के किसी भी क्षेत्र में चिन्हित नहीं किया गया। सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर रोड पर वाहन रखने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। मार्ग पर वाहन रखे होने से यदि दुर्घटना, वाहन चोरी होने पर इसका जिम्मेदार कौन?

शिकायत किए जाने पर कार्रवाई नहीं

सुरक्षाकर्मियों द्वारा खिलाड़ियों कोच वह दर्शकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर जब इसकी शिकायत जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौर से की जाती है तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। जिसके चलते निजी एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों के हौसले बुलंद हो गए तथा वह खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी व अभद्र व्यवहार करने के साथ गाली गलौज तक पर उतर आते हैं।

जिला क्रीड़ा अधिकारी को नहीं पता प्रतियोगिता कौन सी?

राज्य शालेय खेल स्पर्धा आयोजित हो रही है लेकिन गोंदिया के जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौर को नहीं पता कि कौन सी प्रतियोगिता चल रही है? इस संदर्भ में जब शनिवार को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर को किसी भी प्रकार की जिला स्तरीय स्पर्धा आयोजित नहीं हुई। जबकि वास्तविकता में ऑस्टेडू मर्दानी अखाड़ा किं जिला स्तरीय प्रतियोगिता तीन श्रेणियों में आयोजित की गई थी।

फेडरेशन व कोच संभाल रहे जिम्मेदारी

राज्य शालेय क्रीड़ा स्पर्धा के दौरान बच्चों के भविष्य को देखते हुए संबंधित खेल के फेडरेशन के अधिकारी व कोच द्वारा ही खेल की कमान संभाली जा रही है। जिसके चलते खिलाड़ियों को कुछ राहत तो मिली है, किंतु क्रीड़ा विभाग के अधिकारी अधिकांश समय नदारद रहते हैं।

अधिवेशन के नाम पर गायब

महाराष्ट्र शासन का सोमवार 19 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में आयोजित हो रहा है। जिसका बहाना बताकर वरिष्ठ अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी घनश्याम राठौड़ व अन्य उनके सहयोगी सभी नदारद हो गए। इस संदर्भ में जब उनसे बात की गई तो बताएं कि हम अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है अधिवेशन की तैयारी तो लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या?

जिला स्तरीय प्रतियोगिता नहीं

जिला क्रीड़ा संकुल में शालेय खेल स्पर्धा के अंतर्गत 17 दिसंबर शनिवार को किसी भी प्रकार की खेल स्पर्धा आयोजित नहीं है व विभागीय स्पर्धा के लिए अधिकारियों के उपस्थित न रहने पर संबंधित खेल के कोच खेल निरीक्षक से संपर्क कर हस्ताक्षर ले लेते हैं।

- घनश्याम राठौड़

जिला क्रीड़ा अधिकारी, गोंदिया

जनकल्याणकारी प्रशासन ही प्राथमिकता जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के जिलाधिकारी पद का कार्यभार चिन्मय गोटमारे ने ग्रहण करने के पश्चात सभी संबंधित अधिकारियों, विभाग प्रमुख के साथ सभा कर जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर कार्यों में आने वाले बाधाओं की जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि जन कल्याणकारी प्रशासन ही उनकी प्राथमिकता में है। इस अवसर पर अनमोल सागर सहा. जिलाधिकारी गोंदिया, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, चुनाव उप जिलाधिकारी सुभाष चौधरी, विजय सूर्यवंशी उपविभागीय अधिकारी अर्जुनी मोरगाव, पर्वणी पाटिल, उपविभागीय अधिकारी गोंदिया, जिला पूर्ति अधिकारी लीना फाल्के, जिला योजना अधिकारी कावेरी नाखले, करण चव्हाण मुख्य अधिकारी नप गोंदिया, पंकज गजभिए सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), जिला खनन अधिकारी सचिन वांगडे, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे मुख्य रुप से उपस्थित थे।

सभा में जिलाधिकारी ने सबसे पहले उप जिलाधिकारी ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और गोंदिया जिले के अति संवेदनशील सालेकसा तहसील के मुरकुटडोह में नये मतदान केंद्र की तैयारियों और सुरक्षा की समीक्षा की। इसके बाद खाद्यान्न आपूर्ति के संबंध में की गई प्रक्रिया की जानकारी ली।

इसके बाद जिलाधिकारी गोतमारे ने नगर निगम प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी लेकर सभी उपस्थित अधिकारियों, विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों को मिलकर जनोन्मुखी प्रशासन बनाने के निर्देश दिये। साथ ही सुशासन के लिए कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

प्रशासन की ओर से नागरिकों को समय पर सेवाएं देना हम सभी का कर्तव्य है और कलेक्टर ने जिले में विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। उक्त बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारी मुख्य रुप से उपस्थित थे।

३२वी महाराष्ट्र राज्य सीनियर ताइक्वांडो स्पर्धा में छकुली खोडपे को कांस्य पदक

बुलंद गोंदिया - भारतीय ओलंपिक असोसिएशन द्वारा अधिकृत मान्यता प्राप्त ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से संलग्न ताइक्वांडो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की ओर से 32वी महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाडी, पुणे में किया गया। इस स्पर्धा में गोंदिया जिले के टीम ने भी हिस्सा लिया। महिला अंडर 73 वजन कैटेगरी में छकुली खोडपे ने कांस्य पदक प्राप्त किया। उसी प्रकार जिले के टीम में आकांक्षा सोनूले, प्राची मीदेकर, पूर्वा अग्रवाल, वैष्णवी मडावी, अमन आश्वनी, दक्ष गवते ने जिले की ओर से भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन करके जिले का नाम रोशन किया।

टीम कोच के रुप में अमित मेश्राम, निलेश फुलबांधे इन्होंने कार्य किया तथा रैफरी के रुप में धर्मेंद्र दमाहे ने कार्य किया एवं संघ व्यवस्थापक के रुप में नरेश बोहरे ने भाग लिया। छकुली खोडपे ने पदक प्राप्त करने पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, शिवछत्रपती राज्य क्रीड़ा पुरस्कार विजेता प्रवीण बोरसे, ताइक्वांडो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के महासचिव शिवछत्रपती राज्य क्रीड़ा पुरस्कार विजेता मिलिंद पठारे, गोंदिया जिला ताइक्वांडो असोसिएशन के कार्यअध्यक्ष डॉ. खगेंद्र येडे, उपाध्यक्ष शिखा पीपलेवार, गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार विजेता तथा सचिव दुलीचंद मेश्राम, सदस्य कमलेश बारेवार, अर्जुन पटले, ओमेश्वर तांडेकर, निखिल डोंगरे, भारती चचाने, प्रियंका राउत सभी ने छकुली का अभिनंदन किया।

शासकीय सेवा से सेवानिवृत बैस ने थामा आप का दामन

बुलंद गोंदिया - जिला परिषद के पानी पुरवठा विभाग में लेखाधिकारी रहे शैलेश बैस ने सेवानिवृत्त होते ही अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय पार्टी आप का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के विदर्भ कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम मोदी एवं जिला संयोजक उमेश दमाहे ने शैलेश बैस के आप में प्रवेश करने की इच्छा का स्वागत किया तथा आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर उनका पक्ष में प्रवेश किया।

विशेष है कि शैलेश बैस गोंदिया जिला परिषद के पानी पुरवठा विभाग में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे हाल ही 30 नवंबर को सेवा से रिटायर्ड हुए। वर्तमान में बैस जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के महासचिव पद पर बने हुए है।

आप में प्रवेश को लेकर बैस ने कहा, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। उनकी लड़ाई पहले भी आम नागरिकों को न्याय व देश से भ्रष्टाचार के समूल नाश की नीति पर है। दिल्ली के लोगो ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल ने दिल्ली को आधुनिक शिक्षा, सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देकर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी। आज दिल्ली में केजरीवाल के काम बोल रहे है। पंजाब में आप का जलवा है। देश में आप के सांसद, विधायक है। इतने कम समय में आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ऐसी पार्टी से जुड़कर उसकी विचारधारा से जुड़कर मैं खुद को गौरान्वित समझता हूँ।

आने वाले समय में गोंदिया जिले में हम सब मिलकर विभिन्न समस्याओं पर ध्यानकेन्द्रित कर पक्ष की विचारधारा के साथ कार्य करेंगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिल्ली पैर्टन को आम आदमी तक पहुँचाकर मन परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे।

संत श्री लहरी आश्रम संस्थान कामठा में

२०० से अधिक ने किया रक्तदान व २००० नागरिको की स्वास्थ्य जांच

बुलंद गोंदिया - संत श्री लहरी आश्रम संस्थान, कामठा में आयोजित रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर में 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और स्वास्थ्य जांच शिविर में 2000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इस पांच दिवसीय आयोजन में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ.प्रमेश गायधने, दंत चिकित्सक डॉ. अक्षत अग्रवाल, डॉ.सोनल अग्रवाल, डॉ.सचिन केलनका, डॉ.श्रृष्टि केलनका, डॉ.प्रसन्ना राऊत, डॉ.सुबोध भरणे, डॉ.राधिका कुंदनानी, डॉ.जयप्रकाश ऊके, डॉ.बाबा दानव, डॉ.मंगेश भालोटिया, डॉ.कृचा देव, डॉ.अंकिता शेंडे, डॉ.गणेश केंद्रे, डॉ. योगेश पाटले, डॉ.काजल लाडे ने अपनी सेवाएं दीं। कैंप के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हृदय संबंधी बीमारियों की समग्र स्वास्थ्य जांच की एवं जरुरी परामर्श दिए।

इसी तरह लोकमान्य ब्लड सेंटर के नितिन पंधारे, डॉ.अतुल रहांगडाले, तकनीकी पर्यवेक्षक चेतन चव्हाण, नितिन रायकवार, अतुल खवाही, गौरीशंकर बारेवार, जशोदा बिस्ने, दीपक लिल्हारे और अन्य ने शिविर के लिए अपनी सेवाएं दीं।

शिविर का आयोजन परम पूज्य संत लहरी बाबा जन्मशताब्दी समारोह के तहत संत तुकड्याबाबा एवं संस्थान अध्यक्ष गोपालबाबा के मार्गदर्शन में किया गया। लहरी युवा मंच के अविनाश चौधरी, गोपिका कुंदनानी, अमेय धोटे, निरंजन बारापात्रे, अविनाश राजुरकर, अजय खोके, हितेश म्हाशाखेत्री, हेमंत मेश्राम, रुचि खैरवार, भाग्यश्री लाडे, साक्षी तराल, जिगेश्वर लाडे, विकास राजुरकर, जयंत खरकाटे और अन्य ने सफलता के लिए काम किया।

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटिंग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।